

मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2014 को सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. श्री आर० एस० शर्मा, मुख्य सचिव, झारखण्ड।
2. श्री जे० बी० तुबीद, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. श्रीमती राजबाला वर्मा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. श्री के० विद्यासागर, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
5. श्रीमती अलका तिवारी, प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची।
6. श्री मस्तरान मीणा, सचिव, ऊर्जा विभाग एवं वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. श्री अविनाश कुमार, सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
8. श्री अरूण, सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची।
9. श्रीमती हिमानी पाण्डे, सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची।
10. श्री मंगल मूर्ति, सचिव विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची।
11. निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड।
12. श्री विमलेन्दु शेखर झा, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची।
13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (नॉडल अफसर)
14. निदेशक (तक०) जे०बी०यू०एन०एल०
15. मुख्य अभियंता, ग्रामीण विद्युतीकरण, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड।
16. मुख्य अभियंता (आ० एवं वित०), झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड।
17. अधीक्षण अभियंता, रा०गाँ०ग्रा०वि०यो०, डी०वी०सी०, गिरिडीह-ए
18. मुख्य अभियंता, आर०ई०पी०, डी०वी०सी०, राँची।

Ar

सर्वप्रथम बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक आरम्भ की गई। यह बैठक राज्य में उपलब्ध संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करने तथा विभिन्न विभागों से संबंधित आधारभूत संरचनाओं/प्रोजेक्ट के सम्यक् कार्यन्वयन को सुनिश्चित करने तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के जो भूमि से संबंधित लम्बित मामले हैं, उनके भूमि अधिग्रहण utility shifting से संबंधित नियमित समीक्षा हुई एवं उच्च स्तरीय समिति की प्रथम बैठक में निम्नवत् निर्णय लिए गए :-

क्र०	विभाग का नाम	परियोजना का नाम	लम्बित होने का कारण	निर्णय/अभ्युक्ति
1	पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची		प्रधान सचिव, पथ द्वारा बतलाया गया कि स्टोन क्रशर तथा बालू के अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा पट्टा के संबंधित मामले पर्यावरण समिति के पास लम्बित होने के कारण बालू एवं पत्थर की उपलब्धता में कठिनाई के कारण योजनाओं की प्रगति बाधित हो रही है।	1. पी०सी०सी०एफ० सह सदस्य सचिव, राज पर्यावरण समिति को सभी मामले में शीघ्र निर्णय लेने का निदेश दिया गया तथा अन्य राज्यों की इससे संबंधित प्रक्रिया की समीक्षा कर प्रक्रिया सरलीकरण कि दिशा में कार्रवाई करेंगे। 2. इस तरह के सभी आवेदनों को online करने का निदेश दिया गया।
2	ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची क-नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन	राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना में पोल से सट कर कुछ हाथी की मृत्यु हो गई थी, जिसमें नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन के पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दोषी मानते हुये एफ०आई०आर० किया गया।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण इस मामले में केस वापस लेने की दिशा में कार्रवाई करेंगी।
	ख- कोडरमा-कोबर पथ		कोडरमा कोबर पथ पर पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति नहीं मिली है, जिस कारण line sifting नहीं हो पा रही है।	प्रधान सचिव, पथ द्वारा बताया गया कि यदि ROW होगा तो, अनापत्ति देने की कार्रवाई की जाएगी।
3	जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची		1. खूंटकटी भूमि, वन भूमि है या रैयती पर विवाद।	1. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग इस संबंध में निर्णय लेंगे।

		2. गुमला जिले में Land Bank के लिए 14000 एकड़ भूमि 3. चिन्हित किया गया है को Compensatory afforestation के उपयोग के लिए कार्रवाई लम्बित है।	2. इसे शीघ्र Compensatory afforestation clearance हेतु उपयोग के लिए Land Bank बनाने हेतु प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
		3. अमानत परियोजना में वन प्रमण्डल पदाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण लम्बित है।	3. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, वन प्रमण्डल पदाधिकारी को जल संसाधन के पदाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करा कर अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करेंगी।
4	मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची	1. कस्तुरबा गौधी विद्यालय, बोंगा इचाक, हजारीबाग। मानव संसाधन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई की वन क्षेत्र पदाधिकारी ने विद्यालय निर्माण का clearance होने के बाद भी मौखिक आदेश के तहत निर्माण कार्य रोकवा दिया है।	उपायुक्त, हजारीबाग को संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
		2. नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू का परिसर विकास।	भूमि की अनुलब्धता। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
		3. लातेहार जिला में मॉडल कॉलेज का निर्माण।	भूमि की अनुलब्धता। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
		4. साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में महिला कॉलेज की स्थापना।	भूमि की अनुलब्धता। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
		5. मॉडल कॉलेज, खरसावों का निर्माण।	भूमि की अनुलब्धता। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
		6. सरायकेला-खरसावों में महिला कॉलेज का निर्माण।	भूमि की अनुलब्धता। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

Dr

5

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, राँची

1. राँची में IIIT की
स्थापना

भूमि का स्थानान्तरण नहीं होने
के कारण।

50 एकड़ भूमि के विरुद्ध 37.24 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी गई है शेष भूमि 13 एकड़ हस्तांतरण का मामला लंबित है। 13 एकड़ भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही अविलम्ब संबंधित प्राधिकार करे।

2. बोकारो में STPI की
स्थापना।

भूमि का चयन नहीं होने के
कारण।

बोकारो स्टील सिटी में 3 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए उद्योग विभाग को पत्र दिया गया। बियाडा द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि को संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा अनुपयुक्त पाया गया। पुनः सचिव इस्पात विभाग भारत सरकार को बोकारो स्टील सिटी में 3 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव के पत्र संख्या-3086 दिनांक 21.09.13 एवं अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या- 3610 दिनांक 28.11.13 एवं विभागीय पत्रांक 94 दिनांक 16.01.14 द्वारा पत्र दिय गया है। अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं करायी गई है। भूमि उपलब्ध कराने के फलस्वरूप consultant का चयन कर संभावित निवेश/प्राक्कलन मांगी जाएगी। भूमि उपलब्ध कराने हेतु उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची BSL एवं BIADA के साथ मिलकर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3. IT पार्क की
स्थापना।

भूमि का चयन नहीं होने के
कारण।

भूमि उपलब्ध कराने हेतु GRDA, योजना विभाग, झारखण्ड, राँची को 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए बार-बार अनुरोध के बावजूद अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं करायी गई है। भूमि उपलब्ध कराने के फलस्वरूप consultant का चयन कर संभावित निवेश/प्राक्कलन मांगी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची इस संबंध में GRDA एवं योजना विभाग से समन्वय स्थापित कर अग्रतर कार्यवाही करेंगे।

पावरग्रिड द्वारा क्रियान्वित की जा रही संचरण योजनायें

क्र०	जिला का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	वनभूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	लंबित होने का कारण	निर्णय/अभ्युक्ति
1.	लातेहार	लातेहार	400 KV (quad) एस्सार (चंदवा/लातेहार)-लातेहार संचरण लाईन	19.6732	क्र०सं० 1 से 10 पर उल्लेखित सभी प्रस्तावों में सम्मिलित गैर मजरूआ जंगल-झाड़ भूमि हेतु अभी तक संबंधित उपायुक्त /राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है। साथ ही इन परियोजनाओं में सन्निहित वनभूमि के संदर्भ में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अप्राप्त है, जिसके कारण वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रस्ताव भेजने में असमर्थ है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण, झारखण्ड अभियान चलाकर इन सभी लम्बित प्रस्तावों पर प्रयोक्ता अभिकरण के पदाधिकारी तथा उपायुक्तों से समन्वय स्थापित करते हुये वन भूमि के गैर वाणिकी उपयोग हेतु समयबद्ध कार्रवाई करेंगी। इस प्रकार के सभी मामलों के लिए एक टाईम लाईन निर्धारित करते हुये इसका अनुपालन प्राप्त करेंगी।
2.	रांची, रामगढ़, लातेहार	रांची, रामगढ़, लातेहार	400 KV लातेहार (JSEB) PTPS संचरण लाईन	134.695		
3.	रांची, रामगढ़, लातेहार	रांची, रामगढ़, लातेहार	400 KV PTPS बेड़ो संचरण लाईन	10.264		
4.	रांची, रामगढ़,	रांची, रामगढ़,	220 KV हटिया - रांची (पावरग्रिड) संचरण लाईन	15.221		
5.	बोकारो	बोकारो	220 KV PTPS गोबिन्दपुर संचरण लाईन	63.8835		
6.	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	132 KV जादुगोड़ा - दालभूमगढ़ संचरण लाईन	18.275		
7.	सराईकेला एवं जमशेदपुर	सराईकेला एवं जमशेदपुर	132 KV रामचन्द्रपुर -जादुगोड़ा संचरण लाईन	34.161		
8.	सराईकेला एवं पश्चिमी सिंहभूम	सराईकेला एवं चाईबासा	220 KV रामचन्द्रपुर - चाईबासा संचरण लाईन	25.15		

2

9.	सरसईकेला एवं पश्चिमी सिंहभूम	सरसईकेला, कोल्हान, पोराहाट एवं चाईबासा	132 KV चाईबासा - मनोहरपुर संचरण लाईन (लाईन की लम्बाई 97.77 कि०मी०)	48.311
----	------------------------------	--	--	--------

तम्रक

तथैव

10	सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम	सिमडेगा एवं पोराहाट	132 KV सिमडेगा - मनोहरपुर संचरण लाईन	29.283
----	-----------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------

झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि० द्वारा क्रियान्वित की जा रही संचरण योजनायें

क्र०	जिला का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	वनभूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	लंबित होने का कारण	निर्णय/अभ्युक्ति
1.	चतरा दक्षिणी, लातेहार	चतरा दक्षिणी, लातेहार	220 KV चतरा-लातेहार संचरण लाईन	138.64 (लातेहार जिले से संबंधित वनभूमि चिन्हित किया जा रहा है।)	वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अभी तक नोडल पदाधिकारी को समर्पित नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण को निदेश दिया गया कि अविलम्ब वन भूमि अपयोजन हेतु नोडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव समर्पित करें ताकि अनापत्ति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।
	चतरा	चतरा दक्षिणी	220 KV चतरा- PBCMP (बड़कागौद) संचरण लाईन	121.31		
3.	पलामू, गढ़वा	पलामू, गढ़वा	220 KV डाल्टनगंज - गढ़वा (पावरग्रिड) संचरण लाईन	वनभूमि चिन्हित किया जा रहा है।		
4.	गढ़वा	गढ़वा	132 KV गढ़वा - जपला संचरण लाईन	19.00		
5.	गुमला, सिमडेगा	गुमला, सिमडेगा	132 KV गुमला-सिमडेगा संचरण लाईन	वनभूमि चिन्हित किया जा रहा है।		



रांची जिला के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० रांची (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत)

क्र०	जिला का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	वनभूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	लंबित होने का कारण	निर्णय/अभ्युक्ति
1.	राँची	राँची	11 KV फिडर	0.96	क्र०सं० 1 से 5 पर उल्लेखित सभी	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण को वन प्रमण्डल
2.	राँची	राँची	11 KV फिडर	0.94	प्रस्ताव पर वन अधिकार अधिनियम,	पदाधिकारी तथा जिले के उपायुक्तों से समन्वय
3.	राँची	राँची	33 KV लापूग फिडर	0.2976	2006 के अंतर्गत वन प्रमण्डल	स्थापित करते हुये वन भूमि के गैरवाणिकी
4.	राँची	राँची	11 KV फिडर राजाउलातू से कुदागाड़	0.86	पदाधिकारी/जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के स्तर से अपेक्षित	उपयोग हेतु समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।
5.	गोड्डा	गोड्डा	11 KV फिडर	0.92	है।	



राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना (डी0वी0सी0)

क्र0	जिला	अनुमण्डल	प्रस्ताव का नाम (33 के0भी0ए0)	एरिया(हे0)	लंबित होने का कारण	निर्णय/अभ्युक्ति
1	चतरा	दक्षिणी चतरा	सिमरिया से लावालौग	9.274	दिनांक 15.10.2012 को स्टेज-I Grant कर approval के लिए GoI को भेज दिया गया है। GoI द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को FRA Certificate submit करने को कहा गया है, जो लम्बित है।	प्रयोक्ता अभिकरण को अविलम्ब FRA Certificate उपलब्ध करायेंगे।
2	चतरा	दक्षिणी चतरा	कटकमसांडी से गिधुर	16.63327	दिनांक 03.09.2012 को स्टेज-I Grant कर approval के लिए GoI को भेज दिया गया है। GoI द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को FRA Certificate submit करने को कहा गया है, जो लम्बित है।	प्रयोक्ता अभिकरण को अविलम्ब FRA Certificate उपलब्ध करायेंगे।
3	चतरा	दक्षिणी चतरा	पदमा से इटखोरी	12.69635	दिनांक 03.09.2012 को स्टेज-I Grant कर approval के लिए GoI को भेज दिया गया है। भारत सरकार के पास लम्बित है।	इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार किया जाय।
4	चतरा	दक्षिणी चतरा	पत्थरगड़ा से सिमरिया	8.2409	दिनांक 03.09.2012 को स्टेज-I Grant कर approval के लिए GoI को भेज दिया गया है। GoI द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को FRA Certificate submit करने को कहा गया है, जो लम्बित है।	प्रयोक्ता अभिकरण को अविलम्ब FRA Certificate उपलब्ध करायेंगे।
5	चतरा	दक्षिणी चतरा	करेदारी से टान्डवा	6.043835	दिनांक 20.09.2012 को स्टेज-I Grant कर approval के लिए GoI को भेज दिया गया है। भारत सरकार के पास लम्बित है।	इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार किया जाय।



6	चतरा	दक्षिणी चतरा	चतरा से प्रतापपुर	7.019853	दिनांक 03.09.2012 को स्टेज-I Grant कर प्रयोक्ता अभिकरण को अविलम्ब FRA approval के लिए GoI को भेज दिया गया Certificate उपलब्ध करायेंगे। है। GoI द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को FRA Certificate submit करने को कहा गया है, जो लम्बित है।
7	चतरा	उत्तरी चतरा	जोरी से हंटरगंज	5.908035	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/225/212-BHU दिनांक 20.09.2012 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।
8	चतरा	उत्तरी चतरा	प्रतापपुर से कुन्दा	10.51863	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/219/212-BHU दिनांक 20.09.2012 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।
9	चतरा	उत्तरी चतरा	चतरा से प्रतापपुर	12.684	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/227/212-BHU दिनांक 03.09.2012 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।

a

10	हजारीबाग पूर्वी हजारीबाग	सिन्दुर से डेमोटांड	8.715	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/231/212-BHU दिनांक 18.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।
11	हजारीबाग पश्चिमी हजारीबाग	कटकमसान्डी से बलबल	6.319	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/235/212-BHU दिनांक 18.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।
12	हजारीबाग पश्चिमी हजारीबाग	डेमोटांड से बरकागाँव	20.427	GoI के पत्रांक 5/जे0 ए0 सी0/231/212-BHU दिनांक 18.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।
13	हजारीबाग पश्चिमी हजारीबाग	पदमा से गुरुकुरहा 33KV line	2.9034	GoI के पत्रांक 2402 दिनांक 04.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।

h

14	चतरा	दक्षिणी चतरा	गिद्धौर से पत्थरगड़ा	10.13592	GoI के पत्रांक 5/जे0 20 सी0/234/212-BHU 18.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।
15	हजारीबाग	दक्षिणी चतरा	11KV लागलौग ब्लॉक फिडर	22.984875	प्रस्ताव GoJ के पत्रांक 4630, दिनांक 23.11.2013 के द्वारा MoEF, GoI को भेजा गया। GoI द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को revised format में FRA submit करने का निदेश दिया गया, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के पास लम्बित है।	प्रयोक्ता Agency को निदेश दिया गया कि संबंधित प्रस्ताव पी0सी0सी0एफ0 को समर्पित करना सुनिश्चित करें।
16	गिरिडीह	पूर्वी गिरिडीह	देउरी से तिसरी 33KV line	4.9253	GoI के पत्रांक 5/JHB/229/2012-BHU, दिनांक 13.07.2012 के द्वारा Stage-I Grant किया गया and compliance GoJ के पत्रांक 307, दिनांक 22.01.2014 द्वारा MoEF, GoI को भेज दिया गया, जो अभी तक लम्बित है।	इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार किया जाय।
17	गिरिडीह	पूर्वी गिरिडीह	बेगावाद ब्लॉक 33KV line	3.132	GoJ के पत्रांक 2400, दिनांक 04.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।

a

18	गिरिडीह	पश्चिमी गिरिडीह	जमुआ से भोरनसिंह 33KV line	4.205	GoJ के पत्रांक 2401, दिनांक 04.06.2013 के द्वारा Stage-I Grant किया गया। Stage-I Approval का compliance वन एवं पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है।	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण प्रयोक्ता अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुये समयबद्ध तरीके से compliance की कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगी।
19	सिमडेगा	सिमडेगा	कामडारा से कोलेवीरा 33 KV line	3.14	विभाग को प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।	प्रयोक्ता Agency को निदेश दिया गया कि संबंधित प्रस्ताव पी0सी0सी0एफ0 को समर्पित करना सुनिश्चित करायेंगे।
20	गिरिडीह	पूर्वी गिरिडीह	गवान ब्लॉक फिडर 11 KV	0.70	जिला स्तरीय समिति के द्वारा प्रस्ताव पर निर्णय लेना है।	उपायुक्त, गिरिडीह को जिला स्तरीय समिति में शीघ्र निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
मुख्य सचिव
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापक 486 / राँची, दिनांक 17/02/2014.

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (नॉडल अफसर), राँची/निदेशक (तक0) जे0बी0यू0एन0एल0, राँची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विद्युतीकरण, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची/मुख्य अभियंता (आ0 एवं वित0), झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची/अधीक्षण अभियंता, रा0गाँ0ग्रा0वि0यो0, डी0वी0सी0, गिरिडीह-ए/मुख्य अभियंता, आर0ई0पी0, डी0वी0सी0, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten signature]
17/02/14
उप उद्योग निदेशक
झारखण्ड, राँची।